



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102020-222268
CG-DL-E-06102020-222268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3089]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 6, 2020/आश्विन 14, 1942

No. 3089]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2020/ ASVINA 14, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2020

सं. 37/2015-2020

विषय : वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल) स्कीम के तहत स्क्रिप्स जारी करने से संबंधित समर्थकारी प्रावधान को भामिल करना।

का.आ. 3470(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन), अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.01 में एक उप-पैरा (घ) को निम्नानुसार शामिल किया जाता है:

“(घ) वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (खंड-II) दिनांक 07.03.2019 के पैरा 6.3 में यथा अधिसूचित तथा अधिसूचना सं. 12015/11/2020-टीटीपी, दिनांक 09.06.2020 के तहत यथा संशोधित राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल) स्कीम, जो डीजीएफटी द्वारा स्क्रिप मोड में कार्यान्वित की जाएगी, जिसके लिए प्रक्रिया पृथक रूप से निर्धारित की जाएगी।”

इस अधिसूचना का प्रभाव : राज्य लेवी की छूट स्कीम के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जारी करने के संबंध में अधिसूचना सं. 12015/11/2020-टीटीपी, दिनांक 09.06.2020 के तहत यथा संशोधित वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (खंड-II) दिनांक 07.03.2019 के पैरा 6.3 को लागू करने के लिए विदेश व्यापार नीति में एक नया उप-पैरा शामिल किया गया है।

[फा. सं. 01/61/180/14/एम-21/पीसी-3]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2020

No. 37/2015-2020

Subject : Addition of enabling provision related to the issue of scrips under Scheme for Rebate of State Levies (RoSL) as notified by the Ministry of Textiles-reg.

S.O. 3470(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment in the Foreign Trade Policy 2015-20 with immediate effect:

2. A sub-para (d) is inserted in para 4.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20 as below:

“(d) Scheme for Rebate of State Levies (RoSL), as notified in para 6.3 of Ministry of Textiles Notification No. 14/26/2016-IT (Vol-II) dated 07.03.2019 and as amended vide Notification No. 12015/11/2020-TTP dated 09.06.2020 will be implemented by the DGFT in scrip mode, for which procedure will be laid down separately.”

Effect of this Notification: A new sub-para has been inserted in the Foreign Trade Policy, 2015-20 to give effect to the para 6.3 of the Ministry of Textiles Notification No. 14/26/2016-IT (Vol-II) dated 07.03.2019, as amended vide Notification No. 12015/11/2020-TTP dated 09.06.2020 regarding the issue of duty credit scrips under Scheme for Rebate of State Levies.

[F. No. 01/61/180/14/AM21/PC-3]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.